

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार।
सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार
सभी प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।
सभी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।
निदेशक, अतिविशिष्ट अस्पताल, बिहार।
निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना।

पटना, दि०-

विषय:- बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग के कर्मियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग नियमावली, 2025 के नियम-2 एवं 3 के अनुसार उक्त संवर्ग को राज्य स्तरीय घोषित किया गया है, जिसके नियुक्ति प्राधिकार निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना है। उक्त नियमावली के अधिसूचित होने के फलस्वरूप बिहार स्वास्थ्य क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2014 एवं विभाग द्वारा पूर्व में समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि निरसित हो चुके हैं। अतएव बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग के कर्मियों के स्थापना एवं अन्य मामले के निष्पादन हेतु निम्नांकित निर्णय लिया जाता है :-

- (क) उक्त संवर्ग के कर्मियों के सेवांत लाभ एवं ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० तथा 60 दिनों तक की अवधि के सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति हेतु संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक/सिविल सर्जन/अतिविशिष्ट अस्पताल के निदेशक को शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।
- (ख) बिहार स्वास्थ्य लिपिक सेवा के सभी कर्मियों के स्थानांतरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई निदेशालय स्तर से की जायेगी।
- (ग) जिला अनुकम्पा समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति-सह-पदस्थापन आदेश निदेशालय से निर्गत होगा।
- (घ) विभागीय कार्यवाही के मामलों में अंतिम निर्णय निदेशालय स्तर से ली जायेगी। अतएव अपने-अपने जिला/संस्थान में उक्त संवर्ग के सभी कर्मियों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की अद्यतन स्थिति एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

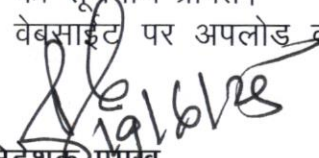
विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक प्रमुख

(रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-04/ए-02-05/2014.....999(4)...../पटना, दिनांक-19/06/25
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

(रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल)
स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना।